आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(2)

हरसीमरान सिंह सेठी के समकस, जे.

संतोश सहरावत-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादीगण 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5782

02 जुलाई, 2019

पंजाब सिविल सेवा नियम-आरएल। **19 (ख)** और **3,17**-अस्थायी सेवा का लाभ-नियमित पद में शामिल होने के लिए अस्थायी पद से इस्तीफा देना-अस्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवा को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए योग्यता सेवा के रूप में माना जाता है-याचिका की अनुमति है।

यह माना गया कि यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता 18.11.1980 से 30.05.1983 तक समाज कल्याण विभाग, हरियाणा में पर्यवेक्षक के रूप में तदर्थ आधार पर काम कर रहा था।प्रतिवादीगण द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मुख सेविका के पद पर शामिल होने के लिए उक्त पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस पद पर उन्हें चुना गया था।प्रतिवादी-राज्य द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मुख सेविका के पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया था।एक बार याचिकाकर्ता ने उचित माध्यम से मुख सेविका के पद के लिए आवेदन किया था और उक्त पद पर चुने जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने पर्यवेक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया, जहां वह नए चयनित पद पर शामिल होने के लिए तदर्थ आधार पर काम कर रही थी, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा उसके रास्ते में नहीं आ सकता है।

(पैरा 5) ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की सेवा जो उसने 18.11.1980 से 30.06.1991 तक प्रदान की थी, उसे पेंशन लाभों के अनुदान के लिए एक योग्यता सेवा के रूप में माना जाना चाहिए।जैसा कि याचिकाकर्ता ने पहली बार वर्ष 2014 में ही संपर्क किया था, वह भुगतान पर किसी भी ब्याज की हकदार नहीं होगी, जिसके लिए याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ प्रदान करने के कारण हकदार पाया जाएगा।

(पैरा 9)

मदन पाल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

सी. एस. बख्शी, ए. ए. जी., हरियाणा।

हरसिम्रन सिंह सेठी, जे. ओरल

(1) वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता का दावा उस सेवा के संबंध में पेंशन के अनुदान के लिए है, जिसे उसने शुरू में समाज कल्याण विभाग, हरियाणा में एक पर्यवेक्षक के रूप में 18.11.1980 से 30.05.1983 तक और उसके बाद 31.05.1983 से 30.06.1991 तक हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग में मुख सेविका के रूप में दिया था।

(2) वर्तमान रिट याचिका में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, वे यह हैं कि याचिकाकर्ता शुरू में 18.11.1980 पर समाज कल्याण विभाग, हरियाणा में तदर्थ आधार पर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ और 30.05.1983 तक लगातार वहां काम करता रहा।समाज कल्याण विभाग में काम करते हुए, एक उचित माध्यम के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा में मुख सेविका के पद के लिए आवेदन किया।मुख सेविका के रूप में चुने जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने मुख सेविका के पद पर शामिल होने के लिए समाज कल्याण विभाग, हरियाणा में पर्यवेक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया।उक्त त्यागपत्र 30.05.1983 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया और अगले ही दिन, याचिकाकर्ता 31.05.1983 पर हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग में मुख सेविका के रूप में शामिल हो गए।इसके बाद, याचिकाकर्ता 18.11.1985 तक मुख सेविका के रूप में काम करता रहा।मुख सेविका के रूप में काम करते हुए, याचिकाकर्ता को 18.11.1985 पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, नारनौल में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया और 30.06.1991 तक वहां काम करते रहे। इसके बाद, याचिकाकर्ता को सहायक परियोजना अधिकारी डब्ल्यू. ई. एफ. 01.071991 (अनुलग्नक पी-4) के रूप में शामिल किया गया।उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने तक वहाँ काम करना जारी रखा।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी का पद पेंशन योग्य पद नहीं है और इसलिए वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता का दावा है कि विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा में काम करते समय, याचिकाकर्ता के खाते में 10 साल की सेवा थी, जो पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी और इसलिए, 18.11.1980 से 30.06.1991 तक अपनी सेवा लेने से, याचिकाकर्ता के पास 10 साल से अधिक की सेवा थी जिसके लिए वह विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा से पेंशन के लाभ की हकदार है।चूंकि उक्त लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा रहा था, इसलिए उसने 2014 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 21178 दायर किया, जिसे इस न्यायालय द्वारा 13.10.2014

पर निपटाया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण-विभाग से उस कानूनी नोटिस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था जो याचिकाकर्ता ने पेंशन के लाभ का दावा करने वाले उत्तरदाताओं को दिया था। दिनांक 13.10.2014 आदेश के अनुसरण में प्रतिवादीगण ने एक योग्यता सेवा के रूप में 18.11.1980 से 30.05.1983 तक की अवधि की गणना करके पेंशन देने के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए 27.05.2015 (अनुलग्नक पी-23) दिनांकित एक आदेश पारित किया।उक्त आदेश को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।(3) जारी प्रस्ताव के नोटिस के अनुसरण में, प्रतिवादीगण ने जवाब दाखिल किया है जहां प्रतिवादीगण ने कहा है कि सिविल सेवा नियम खंड-II के नियम 3,17 को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने हरियाणा के समाज कल्याण विभाग के साथ 18.11.1980 से 30.05.1983 तक पर्यवेक्षक के रूप में जो अवधि बिताई है, उसे योग्यता सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसके अलावा, एक आपत्ति ली गई है कि याचिकाकर्ता ने 31.05.1983 पर ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में मुख सेविका के रूप में शामिल होने के लिए पर्यवेक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया है और इसलिए, एक बार जब याचिकाकर्ता पर्यवेक्षक के पद से इस्तीफा दे देता है, तो उसे उक्त सेवा के लिए कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

(4) मैंने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(5) वर्तमान रिट याचिका में, यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता 18.11.1980 से 30.05.1983 तक समाज कल्याण विभाग, हरियाणा में पर्यवेक्षक के रूप में तदर्थ आधार पर काम कर रहा था।प्रतिवादीगण द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मुख सेविका के पद पर शामिल होने के लिए उक्त पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस पद पर उन्हें चुना गया था।प्रतिवादी-राज्य द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मुख सेविका के पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया था।एक बार, याचिकाकर्ता ने उचित माध्यम से मुख सेविका के पद के लिए आवेदन किया था और उक्त पद पर चुने जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने पर्यवेक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया, जहां वह नए चयनित पद पर शामिल होने के लिए तदर्थ आधार पर काम कर रही थी, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा उसके रास्ते में नहीं आ सकता है और इसलिए, प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति कि याचिकाकर्ता ने मुख सेविका के पद पर शामिल होने के लिए पर्यवेक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया था और इसलिए, इस्तीफा याचिकाकर्ताओं को पर्यवेक्षक के रूप में प्रदान की गई सभी सेवाओं को छीन लेगा जो नियमों के विपरीत है।एक कर्मचारी, जो एक नए चयनित पद पर शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देता है, पिछली सेवा को जब्त नहीं किया जाता है।पंजाब सिविल सेवा नियम 419 (बी) का नियम 419 (बी) जो उक्त स्थिति से संबंधित है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

" 4.19(ख):उचित अनुमति के साथ किसी अन्य नियुक्ति के लिए नियुक्ति का त्यागपत्र, चाहे वह स्थायी

या अस्थायी, सेवा जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से गणना की जाती है, लोक सेवा का त्याग नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां दो नियुक्तियों के अलग-अलग स्टेशनों पर होने के कारण सेवा में व्यवधान अपरिहार्य है, ऐसे व्यवधान, जो स्थानांतरण पर नियमों के तहत अनुमेय जुड़ने के समय से अधिक नहीं हैं, राहत की तारीख को सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी देने या नियम 4.23 के तहत औपचारिक माफी द्वारा कवर किए जाएंगे।

ध्यान दें:एक सरकारी कर्मचारी की पिछली सेवा, जिसे एक अस्थायी नियुक्ति में स्थानांतरित किया जाता है, उसके अस्थायी नियुक्ति से इस्तीफा देने और अपनी मर्जी से एक और अस्थायी नियुक्ति लेने से जब्त कर ली जाती है।

(6) इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा यह आधार लिया गया है कि इस्तीफे के बाद, सेवा का कोई लाभ, जिसे याचिकाकर्ता ने 18.11.1980 से 30.05.1983 तक प्रदान किया है, खराब माना जाता है क्योंकि यह नियम 4,19 (बी) के विपरीत है।

(7) प्रतिवादीगण द्वारा ली गई अगली आपत्ति यह है कि पंजाब सिविल सेवा नियमों का नियम 3,17 प्रतिवादीगण को उस सेवा को प्रदान करने से रोकता है जिसे याचिकाकर्ता ने हरियाणा के समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में 18.11.1980 से 30.05.1983 तक योग्यता सेवा के रूप में प्रदान किया था।उक्त आपत्ति की जांच करने के लिए, नियम 3,17 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

" 3.17 5 जनवरी, 1961 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले किसी अधिकारी के मामले में, यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को पर्याप्त रूप से एक स्थायी पद धारण कर रहा था, तो राज्य सरकार के तहत उसकी अस्थायी या कार्यवाहक सेवा, जिसके बाद बिना किसी रुकावट के उसी या किसी अन्य पद पर पुष्टि की जाती है, पूरी तरह से योग्यता सेवा के रूप में मानी जाएगी, सिवाय इसके कि:-

(i) गैर-पेंशन योग्य प्रतिष्ठानों में अस्थायी या कार्यवाहक सेवा की अवधि;

((ii) हटा दिया गया।

(iii) आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा की अवधि।

नोट-I:केंद्र सरकार के एक कर्मचारी के मामले में जिसे स्थायी रूप से हरियाणा सरकार में स्थानांतरित किया गया है और

इन नियमों के नियम 1 (बी) के तहत इन नियमों के अधीन होने पर, 'निरंतर अस्थायी सेवा या निरंतर कार्यवाहक सेवा' की शर्तों में केंद्र सरकार के तहत प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा शामिल होगी।

नोट-2:विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार के अस्थायी कर्मचारी के मामले में जिसे स्थायी रूप से हरियाणा सरकार में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इन नियमों के अधीन हो जाता है, 'निरंतर अस्थायी सेवा' शब्द में केंद्र सरकार के तहत अस्थायी सेवा शामिल है ।ऐसे मामलों के संबंध में पेंशन देयता सेवा की अवधि पर आवंटित की जाएगी।

नोट-3:(क) निम्नलिखित श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में, जो केंद्र/राज्य सरकारों के तहत विज्ञापनों या परिपत्रों के जवाब में अपने स्वयं के उल्लंघन पर केंद्र/राज्य सरकारों के तहत पद हासिल करने से पहले सेवा प्रदान करते हैं, जिनमें संघ/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए भी शामिल हैं और जिन्हें अंततः अपने नए पदों में पुष्टि की जाती है, केंद्र/राज्य सरकारों के तहत प्रदान की जाने वाली अस्थायी सेवा के संबंध में आनुपातिक पेंशनभोगी दायित्व, जिस हद तक ऐसी सेवा संबंधित सरकार के नियमों के तहत पेंशन देने के लिए योग्य होती, उसे संबंधित सरकारों द्वारा सेवा हिस्सेदारी के आधार पर साझा किया जाएगा:-

(1) जिन लोगों को केंद्र/राज्य सरकारों की सेवा से हटा दिया गया है, वे राज्य/केंद्र सरकार के तहत या तो छंटनी की तारीख और नई नियुक्ति की तारीख के बीच या बिना किसी रुकावट के अपने स्वयं के रोजगार पर सुरक्षित हैं।

(2) वे लोग जो केंद्र/राज्य सरकारों के तहत अस्थायी पदों पर रहते हुए राज्य/केंद्र सरकार के तहत पदों के लिए उचित माध्यम से/संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण की उचित अनुमति के साथ आवेदन करते हैं ।व्याख्या:- जहां श्रेणी (2) के किसी कर्मचारी को तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशासनिक कारणों से, नई नियुक्ति में शामिल होने से पहले उसके द्वारा धारण किए गए अस्थायी पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता होती है, तो इस प्रभाव का प्रमाण पत्र कि ऐसा इस्तीफा प्रशासनिक कारणों से दिया गया था और/या उचित अनुमति के साथ शामिल होने के लिए तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए,

नए पद, त्यागपत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं ।इस प्रमाणपत्र का अभिलेख उचित सत्यापन के तहत उसकी सेवा पुस्तिका में भी बनाया जा सकता है ताकि वह सेवानिवृत्ति के समय यह लाभ प्राप्त कर सके।

हालाँकि, केंद्र/राज्य सरकारों के तहत अस्थायी सेवा के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, उसे संबंधित सरकार को वापस करना होगा।

(ख) वे कर्मचारी, जो केंद्र/राज्य सरकारों के तहत अस्थायी पदों पर रहते हुए बिना

अनुमति के केंद्र/राज्य सरकारों के तहत सीधे पद के लिए आवेदन करते हैं और केंद्र/राज्य सरकारों के तहत नई नियुक्ति में शामिल होने के लिए अपने पिछले पदों से इस्तीफा देते हैं, वे पेंशन के लिए अपनी पिछली सेवा का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे।

(8) उपरोक्त नियम के केवल अवलोकन से पता चलता है कि एक कर्मचारी ने जो सेवा तदर्थ आधार पर दी थी, उसे पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक योग्य सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए।यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान की थी और इसलिए, उन्हें नियमित रूप से मुख इविका के रूप में नियुक्त किया गया था, जिस पद पर उन्होंने 30.06.1991 तक काम करना जारी रखा, इसलिए, कुल अवधि को एक योग्यता सेवा के रूप में माना जाना चाहिए और ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जिसमें यह परिकल्पना की गई हो कि याचिकाकर्ता ने 18.11.1980 से 30.05.1983 तक हरियाणा के समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में जो अवधि बिताई थी, उसे योग्यता सेवा के रूप में नहीं लिया जा सकता है।प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति सिविल सेवा नियमों के नियम 3,17 से पैदा नहीं होती है।

(9) इसके अलावा, कुछ ऐसी ही स्थिति में, जिसमें अस्थायी आधार पर काम करने वाले एक कर्मचारी को नियमित आधार पर दूसरे पद पर चुना गया था, ने नियमित पद पर शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया था, इस न्यायालय ने कहा कि अस्थायी आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवा को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक योग्यता सेवा के रूप में गिना जा सकता है।एम. एम. लाल बरेजा बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक से 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5115 पर निर्णय लेते समय, इस न्यायालय ने नियम 3,17 के प्रावधान पर विचार किया था।उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है:-

"3. प्रतिवादीगण ने विलंब के आधार पर और इस आधार पर भी रिट याचिका का विरोध किया है कि याचिकाकर्ता प्रो-राटा पेंशन या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान का हकदार नहीं है।अपने जवाब में, प्रतिवादीगण के पास हैं।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने उचित माध्यम से किसी अन्य संगठन में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था और किसी भी मामले में जब उसने हरियाणा सरकार की सेवा से इस्तीफा दे दिया था, तो उसे प्रो-राटा पेंशन या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है।अपनी प्रतिकृति में, याचिकाकर्ता ने प्रो-राटा पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान के अपने दावे को इस आधार पर दोहराया है कि मैसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है और उसे प्रो-राटा पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ नहीं देने का कोई कानूनी या अन्य औचित्य नहीं है।

4. एकमात्र बिंदु जिसके लिए न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की सेवा में शामिल होने से पहले हरियाणा सरकार के साथ अपनी सेवा के बदले में पेंशन का भुगतान करने का हकदार है। जबकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के मामले के समर्थन में पंजाब सिविल सेवा नियमों के अध्याय VI में निहित नियम 6 और अन्य नियमों पर भरोसा किया है, विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में नियमों के नियम 3,17 5.1 और 5 पर भरोसा किया है कि याचिकाकर्ता प्रो-राटा पेंशन या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लाभ का हकदार नहीं है।

5. पंजाब सिविल सेवा नियम (खंड II) के अध्याय एच. आई. में उस सेवा को निर्दिष्ट किया गया है जो पेंशन के लिए योग्य है।धारा II योग्यता की शर्तों से संबंधित है। नियम 3.12 में कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक पेंशन के लिए योग्य नहीं है जब तक कि यह तीन शर्तों के अनुरूप न हो, अर्थात् (i) सेवा सरकार के अधीन है; (ii) रोजगार मूल और स्थायी है; और (iii) सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।नियम 3.13 और 3.14 किसी विशेष सेवा को योग्य सेवा घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करते हैं।नियम 3.15 में पुलिस विभाग के संबंध में विशेष प्रावधान हैं।नियम 3.16 3.17 और अन्य नियम जो इस अध्याय में स्थान पाते हैं, नियम 3.12 में उल्लिखित विभिन्न शर्तों से संबंधित हैं।अध्याय IV में पेंशन के उद्देश्य से सेवा की गणना के लिए विभिन्न प्रावधान हैं।इस अध्याय का नियम 4.19 त्यागपत्र और बर्खास्तगी से संबंधित है।अध्याय 5 विभिन्न प्रकार की पेंशन और उनके अनुदान के लिए शर्तों से संबंधित है।

संतोश सहरावत बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

अध्याय VI पेंशन की राशि से संबंधित है।इस याचिका के उद्देश्य के लिए, नियम 3.17 और 4.19 (बी) के प्रावधान प्रासंगिक हैं और इसलिए, उन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

" 3.17 5 जनवरी, 1961 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले किसी अधिकारी के मामले में, यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को पर्याप्त रूप से एक स्थायी पद धारण कर रहा था, तो राज्य सरकार के तहत उसकी अस्थायी या कार्यवाहक सेवा, जिसके बाद बिना किसी रुकावट के उसी या किसी अन्य पद पर पुष्टि की जाती है, पूरी तरह से योग्यता सेवा के रूप में मानी जाएगी, सिवाय इसके कि:-

(i) गैर-पेंशन योग्य प्रतिष्ठानों में अस्थायी या कार्यवाहक सेवा की अवधि;

((ii) हटा दिया गया।

(iii) आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा की अवधि।

नोट-I:केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में, जिसे स्थायी रूप से हरियाणा सरकार में स्थानांतरित किया जाता है और इन नियमों के नियम 1 (बी) के तहत इन नियमों के अधीन हो जाता है, 'निरंतर अस्थायी सेवा या निरंतर कार्यवाहक सेवा' शब्दों में केंद्र सरकार के तहत प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा शामिल होगी।

नोट-2:विशुद्ध रूप से एक अस्थायी केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में जिसे स्थायी रूप से हरियाणा सरकार में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इन नियमों के अधीन हो जाता है, 'निरंतर अस्थायी सेवा' शब्द में केंद्र सरकार के तहत अस्थायी सेवा शामिल है ।ऐसे मामलों के संबंध में पेंशन देयता सेवा की अवधि पर आवंटित की जाएगी।

नोट-3:(क) निम्नलिखित श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में जो विज्ञापनों या परिपत्रों के जवाब में अपने स्वयं के उल्लंघन पर केंद्र/राज्य सरकारों के तहत पद हासिल करने से पहले केंद्र/राज्य सरकारों के तहत सेवा प्रदान करते हैं, जिनमें संघ/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए विज्ञापन या परिपत्र भी शामिल हैं और जिन्हें अंततः अपने नए पदों पर पुष्टि की जाती है, केंद्र/राज्य के तहत प्रदान की गई अस्थायी सेवा के संबंध में आनुपातिक पेंशनभोगी दायित्व।

सरकारें इस हद तक कि ऐसी सेवा के नियमों के तहत पेंशन देने के लिए योग्य होतीं।

संबंधित सरकार द्वारा सेवा हिस्सेदारी के आधार पर साझा किया जाएगा:-

(1) जिन लोगों को केंद्र/राज्य सरकारों की सेवा से हटा दिया गया है, वे राज्य/केंद्र सरकार के तहत या तो छंटनी की तारीख और नई नियुक्ति की तारीख के बीच या बिना किसी रुकावट के अपने स्वयं के रोजगार पर सुरक्षित हैं।

(2) वे लोग जो केंद्र/राज्य सरकारों के तहत अस्थायी पदों पर रहते हुए राज्य/केंद्र सरकार के तहत पदों के लिए उचित माध्यम से/संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण की उचित अनुमति के साथ आवेदन करते हैं ।व्याख्या:- जहां श्रेणी (2) के किसी कर्मचारी को तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशासनिक कारणों से, नई नियुक्ति में शामिल होने से पहले उसके द्वारा धारण किए गए अस्थायी पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता होती है, तो इस प्रभाव का प्रमाण पत्र कि ऐसा इस्तीफा प्रशासनिक कारणों से दिया गया था और/या उचित अनुमति के साथ शामिल होने के लिए तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, नए पदों को त्यागपत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकरण द्वारा जारी किया जा सकता है ।इस प्रमाणपत्र का अभिलेख उचित सत्यापन के तहत उसकी सेवा पुस्तिका में भी बनाया जा सकता है ताकि वह सेवानिवृत्ति के समय यह लाभ प्राप्त कर सके।

हालाँकि, केंद्र/राज्य सरकारों के तहत अस्थायी सेवा के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, उसे संबंधित सरकार को वापस करना होगा।

(ख) वे कर्मचारी, जो केंद्र/राज्य सरकारों के तहत अस्थायी पदों पर रहते हुए बिना अनुमति के केंद्र/राज्य सरकारों के तहत सीधे पद के लिए आवेदन करते हैं और केंद्र/राज्य सरकारों के तहत नई नियुक्ति में शामिल होने के लिए अपने पिछले पदों से इस्तीफा देते हैं, वे पेंशन के लिए अपनी पिछली सेवा का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे।

4.19(ख):उचित अनुमति के साथ, एक अन्य नियुक्ति, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, लेने के लिए नियुक्ति का त्यागपत्र, जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से गणना की जाती है, लोक सेवा का त्यागपत्र नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां दो नियुक्तियों के अलग-अलग स्टेशनों पर होने के कारण सेवा में व्यवधान अपरिहार्य है, ऐसे

स्थानांतरण पर नियमों के तहत अनुमेय ज्वाइनिंग समय से अधिक की बाधाओं को राहत की तारीख को सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी या नियम 4.23 के तहत औपचारिक माफी द्वारा कवर किया जाएगा, जिस हद तक अवधि सरकारी कर्मचारी को छुट्टी द्वारा कवर नहीं की गई है।

ध्यान दें:एक सरकारी कर्मचारी की पिछली सेवा, जिसे एक अस्थायी नियुक्ति में स्थानांतरित किया जाता है, उसके अस्थायी नियुक्ति से इस्तीफा देने और अपनी मर्जी से एक और अस्थायी नियुक्ति लेने से जब्त कर ली जाती है।

6. उपर्युक्त नियमों पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि पेंशन ऐसे कर्मचारी को भी देय है जो राज्य सरकार के तहत अस्थायी पद पर था और जिसने बाद में केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी अन्य सेवा में शामिल होने के लिए पिछले पद से इस्तीफा दे दिया हो।ये नियम उस व्यक्ति को पेंशन के अनुदान को भी समझते हैं जिसने एक और नियुक्ति करने के लिए सेवा से इस्तीफा दे दिया है और इस तरह के इस्तीफे को लोक सेवा से इस्तीफे के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

7. इस मामले के रिकॉर्ड में आए तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार की सेवा में स्थायी कर्मचारी था।उन्होंने उचित माध्यम से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड में वरिष्ठ आशुलिपिक के रूप में भर्ती के लिए आवेदन किया था।उनके चयन के बाद, उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि सरकार ने उन्हें असाधारण छुट्टी का लाभ देने से इनकार कर दिया था।जब तक उन्हें इस्तीफे के बाद मुक्त किया गया, तब तक याचिकाकर्ता ने हरियाणा सरकार के साथ 15 साल से अधिक की सेवा प्रदान कर दी थी।नियम 3.17 के साथ पठित नियम 4.19 (बी) के संदर्भ में

उनके इस्तीफे को लोक सेवा से इस्तीफे के रूप में नहीं माना जा सकता है।राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के साथ उनकी सेवा भारत सरकार के एक उपक्रम में एक सेवा थी और इसलिए, उन्हें हरियाणा सरकार के तहत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के बदले पेंशन प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।उसे इस लाभ से वंचित करके, प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया है।इसलिए, वह मैंडमस की रिट जारी करने का हकदार है।"

(10) इसलिए, याचिकाकर्ता का मामला भी ऊपर देखे गए कानून के तय किए गए सिद्धांत द्वारा कवर किया गया है, जिसमें कुछ समान स्थितियों में, अस्थायी आधार पर प्रदान की गई सेवा के लाभ को पेंशन लाभों के अनुदान के लिए एक योग्य सेवा के रूप में माना जाने का निर्देश दिया गया है।वर्तमान रिट याचिका की अनुमति है। याचिकाकर्ता की सेवा जो उसने 18.11.1980 से 30.06.1991 तक प्रदान की थी, उसे पेंशन लाभों के अनुदान के लिए एक योग्यता सेवा के रूप में माना जाना है।जैसा कि याचिकाकर्ता ने पहली बार वर्ष 2014 में ही संपर्क किया था, वह भुगतान पर किसी भी ब्याज की हकदार नहीं होगी, जिसके लिए याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ प्रदान करने के कारण हकदार पाया जाएगा।

(11) मान लीजिए, प्रतिवादीगण इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों की गणना करते हैं और याचिकाकर्ता जो कुछ भी हकदार पाया जाता है, उसे अगले एक महीने की अवधि के भीतर उसे जारी कर दिया जाएगा।

(12) उपरोक्त शर्तों में लिखित याचिका की अनुमति है।

पायल मेहता

असवीकरण:- सथानिय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अनय उदेशय के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता ।सभी वयवहारिक और अधिकारिक उदेशयो के लिये निर्णय का अगरेजी सनसकरण परमाणिक होगा और निषपादन और कारयानयन के उदेशयो के लिये उपयुकत रहेगा ।

राज कुमार
अनुवादक